न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

(111)

R.3327-II/14

राघवेन्द्र सिंह तनय श्री राजपाल सिंह सा0 नौगवा तह0 गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0.

-----निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष सीधी म0प्र0

--- गैर निग.कर्ता

विनोद भार्गव एडवोकेट
30-9-14

30-9-14

निगरानी बिरूद्व आदेश दिनांक 12.9.14 अपर कलेक्टर सीधी प्रकरण कमांक – 273 / स्व.निगरानी / 20011–12

मान्यवर,

निगरानी को समझने के लिए निम्न तथ्य संक्षेप में दिये जा रहे हैः–

1– यह कि आवेदक ग्राम अमरव.इ का पुस्तैनी निवासी था किन्तु अर्षा 70 वर्ष पूर्व रीवा राज्य के समय से ग्राम नोगमा दर्शन सिंह का निवासी हो गया आवेदक भूमिहीन व्यक्ति था आवेदक के पास आय का कोई साधन नहीं था व न है इससे निगरानी कर्ता अर्षा 70वर्ष से रीवा राज्य के समय से भूमि नं0–241 / 0.98,220 / 0.06,197 / 0.04,187 / 0.06हे.पर खेती करता रहा व कब्जा देखकर उक्त भूमियों का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार प्रभारी सेमरिया द्वारा आवेदक को वास दखलकार अधि0के भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी मानकर व्यवस्थापन किया व पटटा प्रदान किया गया।

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
दिनांक 30-9-2014

2– यह कि अविवादित व अखण्डित है कि नायब तहसीलदार तहसील गोपदबनास प्रभारी सेमरिया मौके की साक्ष्य ले कर व मौके पर आवेदक के कब्जकाहल्कापटवारीसे प्रतिवेदन लेकर विवादित भूमियों पर कब्जा देखकर व कब्जे से निरीक्षण व संतुष्ट होकर व्यवस्थापन कीकार्यवाही किया किन्तु निगरानी कर्ता से रंजिश रखने वाले राजनैतिक नेताओं के दबाव में आकर अपर कलेक्टर सीधी ने निगरानीकर्ता की 70 वर्ष से कब्जे के भूमि के आधार पर व सन2000 में हुए व्यवस्थापन को रद्द कर दिया जिससे आवेदक दुखी है

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी –3327–दो / 2014 जिला– सीधी

राघवेन्द्र सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/02/2019	आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला–सीधी के प्र. क्र. 273 / स्व.निग. / 2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 12–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	